



कार्यालय उज्जैन विकास प्राधिकरण उज्जैन

विज्ञप्ति क्रमांक 81/09

दिनांक 20.07.09

::विज्ञप्ति::

प्राधिकरण की क्षिप्राविहार योजना में 50 ई-1 भवनों के अंतर्गत पंजीयन का सुनहरा अवसर । उक्त योजना में निर्मित ई-1 श्रेणी के भवनों हेतु दि.10.08.09 से निश्चित संख्या के बराबर पंजीयन पूर्ण होने तक प्राधिकरण की सम्पदा शाखा में प्रातः 11.00 बजे से प्रथम आओ प्रथम पाओ पद्धति के आधार पर पंजीयन हेतु आवेदन पत्र पंजीयन पूर्ण होने तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं ।

भवन श्रेणी	संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	अनुमानित लागत	निर्मित क्षेत्रफल	पंजीयन राशि	आधिपत्य पूर्व निर्माण की कार्य की प्रगति अनुसार 6 समान किशतों में ली जाने वाली राशि
ई-1	50	05X09=45.00 व.मी.	4,51,000/-	22.10 व.मी.	1,00,000/-	58,500/-प्रति किशत

नोट:-आरक्षण की स्थिति

ई-1 सामान्य 26, अनुसूचित जाति 05, अनुसूचित जन जाति 08, पिछडा वर्ग 03, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 02, बुद्धिजीवी/श्रमजीवी पत्रकार एवं कलाकारों हेतु 02, शारीरिक विकलांग 02, कर्मचारी कोटा 01, सैनिक/भूपू.सैनिक 01,

1. निर्धारित आवेदन पत्र मय शर्तों के रूपये 100/- भुगतान उपरांत सम्पत्ति शाखा से दिनांक 29.07.09 से प्राप्त किये जा सकते हैं।
2. पंजीयन हेतु पंजीयन राशि बैंक ड्राफ्ट जो उ.वि.प्रा. के खाते में भुगतान योग्य हो उसके द्वारा अथवा नगद धनराशि बैंक चालान के माध्यम से इण्डियन ओवरसीज बैंक भरतपुरी उज्जैन में ही जमा मान्य की जावेगी।
3. अन्य शर्तें उपबंध, नियम, लीजरेंट, मानचित्र आदि की विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय में सम्पत्ति शाखा में अवकाश दिवस को छोड़कर प्राप्त की जा सकती है।
4. अन्य जानकारीयों हेतु कृपया प्राधिकरण की वेबसाईट WWW.udaujain.org. देखें।

(मोहन यादव)

अध्यक्ष

उज्जैन विकास प्राधिकरण उज्जैन

(चेतनसिंह परमार)

सम्पदा अधिकारी

उज्जैन विकास प्राधिकरण उज्जैन